

सोनम व अन्य श्रमिक बच्चों की सहायता के लिए आप भी आगे आकर कदम बढ़ाइं

किसी श्री बाल श्रम की धटना के खिलाफ शिकायत दर्ज कराने के लिए अपने नज़दीकी निम्न जगहों पर संपर्क करें-

- जिला बाल संरक्षण इकाई
- बाल श्रम अधिकारी
- चाहूल लाहून 1098
- स्थानीय पुलिस नंबर 100

## मैं पढ़ूँगी-लिखूँगी, स्कूल में बहुत कुछ सिखूँगी

न केवल खुद सक्षम बनूँगी, अपने परिवार को भी सक्षम बनाऊँगी।



## सौनम की पढ़ाई छूटी, उसके सपने दूटे



सौनम की उम्र 12 साल है गर्भ है। वह कैवल कक्षा 6 तक ही अपनी पढ़ाई पूरी कर पाई और स्कूल जाना छोड़ दिया। लेकिन वह अभी श्री पढ़ना-लिखना चाहती है और अपनी पढ़ाई पूरी कर अपने पैरों पर खड़ा होना चाहती है। उसके घर की आर्थिक स्थिति ठीक न होने के कारण वह अब अपने मां का काम-काज में हाथ बंटाती है। सौनम अपनी मां के साथ मजदूरी करने जाती है। उसके माता-पिता का कहना है कि उक मजदूर का बेटा या बेटी मजदूर ही बन सकते हैं इसलिए ज्यादा पढ़ने-लिखने में पैसा खार्च करना ठीक नहीं, अगर सौनम हमारा हाथ बंटाउँगी तो घर में चार पैसे आउंगे, जिससे हमारी आर्थिक स्थिति में भी सुधार होगा, इसलिए उन्होंने सौनम को पढ़ाई-लिखाई न करा, मजदूरी कराना ही बेहतर समझा।



### सौनम की रह गई पढ़ाई अधूरी, न हो सकी उसकी आकांक्षा पूरी

**बाल श्रम किसे कहते हैं?**

कोई श्री ऐसा कार्य जो 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को उनके बचपन, संशोधन, क्षमता और सम्मान से वंचित करता है तथा जो उनके शारीरिक तथा मानसिक विकास के लिए हानिकारक है, उसे बाल श्रम कहते हैं।



### बाल श्रम के नुकसान:

- विद्यालय जाने के अवसर से उन्हें वंचित करता है।
- बच्चों को बीच में पढ़ाई छोड़ने पर मजबूर करता है।
- विद्यालय में उपस्थिति के साथ-साथ काफी समय तक शारीरिक काम करने के लिए मजबूर होना पड़ता है।
- कम उम्र में काम करने से बच्चे के शारीरिक व मानसिक विकास पर भी असर पड़ता है तथा उनका बचपन छिन जाता है।

### सौनम जैसे और भी हैं कर्द्द बच्चे

#### बाल श्रम से संबंधित आंकड़े:

**भारत:** भारत में बाल श्रम के शिकार बच्चों की संख्या: लगभग 320 लाख है तथा भारत में बाल श्रम के आंकड़े कुछ इस प्रकार हैं- लड़का: 5.6 मिलियन और लड़की: 4.5 मिलियन।

(स्रोत- उन.सी.पी.सी.आर. 2004-2005 रिपोर्ट)

### सौनम जैसे बच्चों को पढ़ाई-लिखाई से वंचित करने की है सजा

#### बाल श्रम उक दंडनीय अपराध:

बाल श्रम संशोधन अधिनियम 2016 के अनुसार:

- किसी श्री 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चे से काम कराने पर 2 साल तक जेल की सजा हो सकती है।
- 14 से 18 साल के बच्चे जोखिम भरा कार्य कराने पर सजा के भागीदार हो सकते हैं।
- अपराधी पाउ जाने पर 20,000 से 50,000 रुपए तक का जुर्माना देना पड़ सकता है।

